

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 103

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02238

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रुकमनी विहार", प्रमोटर-रुकमनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,
द्वारा-श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पता-शॉप क्रं.-412, तृतीय तल, लैण्डमार्क
कॉम्प्लेक्स, करबला रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"रुकमनी विहार" पता-दरोगापारा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/07/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 1,000/- को अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 03.07.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	